तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रेमदेव स्नेही बनाम लो.सू.अ.(जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 10 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रेमदेव स्नेही अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.10.2017 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र भंवरलाल वर्गी निवासी प्लॉट नं. 133, पृथ्वीपुरा रसाला रोड जोधपुर द्वारा वर्ष 2001 में राशन कार्ड सं. 05 कोड सं. 49 / 248 बाबत् विभाग में प्रस्तुत आवेदन मय शपथपत्र व सम्पूर्ण पत्रावलीं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1035 दिनांक 29.12.17 सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 21 दिनांक 29.01.18 रिपोर्ट प्राप्तं हुई जिसमें अवगत कराया कि सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में राशनकार्ड ऑन लाईन बनाये जा रहे है नये राशनकार्ड जारी होने पर पुराने राशन कार्ड स्वत+ ही निरस्त हो जाते है। राशनकार्ड का रिकॉर्ड काफी पुराना होने के कारण उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि राजेश कुमार पुत्र भंवरलाल वर्गी को किस रेकर्ड के आधार पर जारी किया गया पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि किस रेकर्ड को देखकर की गई इस बाबत् संधारित किये जाने वाले रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि चाही गई। चूंकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में राशनकार्ड हेतु प्रस्तुत आवेदन मय शपथपत्र की प्रतिलिपि चाही गई जो जिला रसद अधिकारी जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रिकॉर्ड पुराना होने से उपलब्ध नहीं है। अतः रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	